



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं०: 4124-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2012-9(3) मा०सं०-03/2011

दिनांक: 06.10.2012

### "कार्यालय ज्ञाप"

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत तकनीशियन ग्रेड-॥ (विद्युत/मेकेनिकल/ इन्स्ट्रूमेंट) के पद पर सेवायोजन हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त (त्रिवर्षीय डिप्लोमाधारी/बी०ई०/बी०टैक०) डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को निगमादेश संख्या: 1187-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2011-9(3)-मा०सं०-03/2011, दिनांक: 21.07.2011 में निहित प्राविधानानुसार DOEACC द्वारा प्रदत्त 80 घण्टे का Course on Computer Concept (CCC) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथा संशोधित लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

पत्र सं०:4124-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2012 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/करपोरेट स्ट्रेटिजी/मा०सं०(02/03)/वित्त एवं लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं अधनिकीकरण/वाणिज्य; उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
4. सलाहकार (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु।
7. जन सूचना अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट छितवापुर भुइयन, 12 आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
9. कट फाइल।

आज्ञा से,

(वी०पी० कटियार)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03)